

योजना का नाम	मोटराइज्ड ट्राई साइकिल योजना
योजना के तहत देय लाभ	
पात्रता की शर्तें	<p>–आवेदक 50 प्रतिशत या उससे अधिक चलन निःशक्तता वाला व अधिक का विशेष योग्यजन हो। राजस्थान का मूल निवासी हो। –आवेदक के परिवार, माता–पिता/अभिभावक (आवेदक की आय को सम्मिलित करते हुए यदि है तो) की अधिकतम आय रू 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो। –आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो। –वाहन चलाने का अनुभव हो व ड्राइविंग लाइसेंस हो। –आवेदक को स्वयं के रोजगार व सीनियर हायर सैकण्डरी से उच्च शिक्षा अध्ययन कार्य हेतु मोटराइज्ड ट्राई–साइकिल देय होगी।</p>
आवेदन कैसे करें	
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कहां संपर्क करें	संबंधित जिला अधिकारी–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आवेदन पत्र का प्रारूप